



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2421]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 25, 2019/श्रावण 3, 1941

No. 2421]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 25, 2019/SHRAVANA 3, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2019

**का.आ. 2652(अ).**—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 396 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कारपोरेट कार्य मंत्रालय में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 832(अ), तारीख 03 नवंबर, 2015 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की, सारणी में कॉलम (1) क्रम संख्या (6) में "शिलांग" शब्द के स्थान पर "गुवाहाटी" शब्द रखा जाएगा।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं.1/16/2013-सीएल-V]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 832(अ) तारीख 03 नवंबर, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी और का.आ.1556(अ) दिनांक 26 अप्रैल, 2016 द्वारा इसमें पश्चातवर्ती संशोधन किए गए।

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th July, 2019

**S.O. 2652(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 396 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Corporate Affairs, published vide number G.S.R. 832(E), dated the 3<sup>rd</sup> November, 2015 namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number (6), in column (1), for the word “Shillong” the word “Guwahati” shall be substituted.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/16/2013-CL-V]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number G.S.R. 832(E), dated the 3<sup>rd</sup> November, 2015 and subsequently amended *vide* number S.O. 1556(E), dated the 26<sup>th</sup> April, 2016.